पत्रांक /4723/आयु0क0उत्तराखण्ड/विधि–अनु0/वाणि0कर/2014–15/देहरादून।

कार्यालयः–आयुक्त कर उत्तराखण्ड।
(विधि–अनुभाग)
देहरादूनः दिनांकः 14 जनवरी–2015

समस्त डिप्टी कमिश्नर (क0नि0) वाणिज्य कर,
समस्त असिस्टेण्ट कमिश्नर वाणिज्य कर,
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड।

शासन के पत्र संख्या 1030/2010/XXVII(8)/01(A)(120)/2001, दिनांक 03.12.2012 द्वारा ईंट निर्माताओं के लिए भट्टा सीजन वर्ष 2012–13 (दिनांक 01.10.2012 से 30.09.2013 तक) एवं सीजन वर्ष 2013–14 (दिनांक 01.10.2013 से 30.09.2014 तक) के लिए समाधान योजना लागू की गई थी, जिसके अन्तर्गत भट्टा निर्माताओं को पायों के आधार पर अलग–अलग श्रेणियों में वर्गीकृत करते हुए समाधान राशि निर्धारित की गई थी। शासन द्वारा भट्टा समाधान योजना को आगे नहीं बढ़ाया गया है अतः दिनांक 01.10.2014 से कोई भट्टा समाधान योजना अस्तित्व में नहीं है। ईंट निर्माताओं द्वारा सम्भवतः ईंट निर्माण हेतु भट्टों में फुकाई का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया होगा। अतः यह आवश्यक है कि दिनांक 01.10.2014 के बाद की अवधि के लिए खण्डाधिकारियों द्वारा भट्टों का समय–समय पर सर्वेक्षण किया जाता रहे ताकि भट्टों से निर्माण/बिक्री के अनुरूप कर प्राप्त होता रहे। अतः ईंट निर्माताओं के सर्वेक्षण हेतु निम्न प्रकार निर्देश दिए जाते हैं :–

1–प्रत्येक खण्डाधिकारी द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले भट्टों का अधिक से अधिक 25 दिन के अंदर एक बार सर्वेक्षण अवश्य किया जाना है। किसी खण्ड में भट्टों की संख्या अधिक होने की दशा में सम्बन्धित ज्वाइण्ट कमिश्नर(कार्यपालक) द्वारा भट्टों की जांच/सर्वेक्षण हेतु खण्ड में तैनात वाणिज्य कर अधिकारियों को निर्देशित किया जा सकता है। यदि कोई भट्टा एक खण्ड में पंजीकृत है किन्तु वास्तव में यह भट्टा किसी अन्य खण्ड के अधिकार क्षेत्र में स्थित है, तो ऐसी स्थिति में भट्टा जिस खण्डाधिकारी के अधिकार क्षेत्र में पंजीकृत है, उनके द्वारा उस खण्डाधिकारी को जिसके अधिकार क्षेत्र में भट्टा स्थित है, को पत्र द्वारा उक्त भट्टे की जांच हेतु सूचित किया जाएगा। इस प्रकार सूचना प्राप्त होने पर सम्बन्धित खण्डाधिकारी द्वारा भट्टे का निर्देशानुसार सर्वेक्षण किया जाएगा तथा सर्वेक्षण की प्रति उन खण्डाधिकारियों को भेज दी जाएगी, जहां वह भट्टा पंजीकृत है।

2–भट्टे के सर्वेक्षण के समय निम्न बिन्दुओं को सर्वे डायरी पर अवश्य अंकित किया जाएगा।

I – भट्टा कितने पाए का है।
II - भट्टे में कितने रद्दे हैं।
III – भट्टे में कितनी घाटियां हैं।
IV – फुकाई व निकासी निकटतम घाटी के बाद की कितनी लाइनो/कली पर की जा रही है।
V – भट्टे का मानचित्र बनाकर एवं दिशा अंकित करते हुए भट्टे की भराई, फुकाई व निकासी के बिन्दुओं को स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।
VI – भट्टे के बाहर तैयार ईंटों का कितना स्टॉक है।
VII– भट्टे के बाहर कितना ईंधन उपलब्ध हैं।
VIII– भट्टे की क्षमता क्या है।
IX – भट्टे द्वारा एक चक्कर में फुकाई कितने दिनों में होती है।

X – भट्टे का प्रथम बार सर्वेक्षण करते हुये पथाई, भराई एवं फुकाई प्रारम्भ करने की दिनांक का अंकन किया जाना है।

XI – भट्टे के किसी अवधि में बंद रहने का विवरण।

XII– जारी कैश मेमों/बिल पर हस्ताक्षर कर उसका विवरण सर्वेक्षण के समय दर्ज किया जाना है।

उपरोक्त बिन्दुओं में वर्णित विभिन्न शब्दावलियों का विवरण निम्न प्रकार है :–

(a) प्रत्येक भट्टे में ईंट भरे जाने पर कच्ची ईंटों की लाईन खड़ी की जाती है। इस प्रकार से किसी भट्टी में जितनी लाईनें होती है, उन्हें 'पाए' बोला जाता है।

(b) जमीन से ऊपर जितनी ईंटों की लेयर बनाई जाती है, उन्हें 'रद्दे' कहा जाता है।

(c) सर्वे डायरी पर भट्टे का मानचित्र निम्न प्रकार बनाया जाएगा।

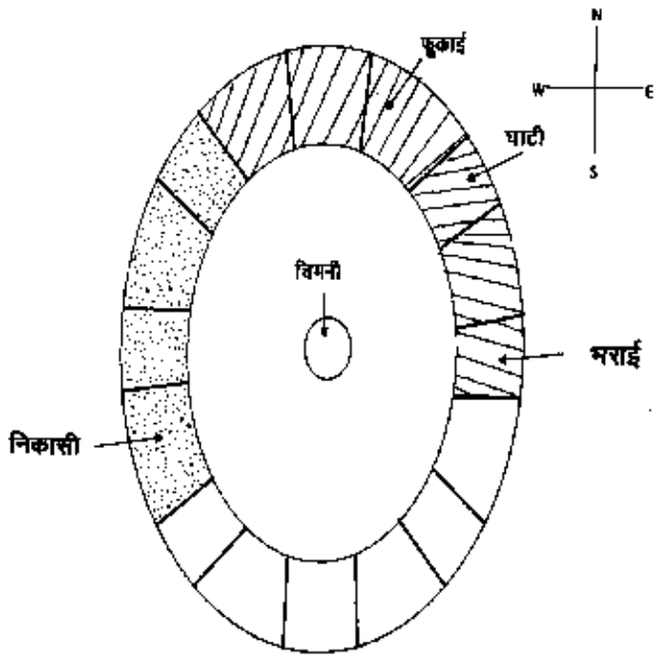

3– जिन खण्डाधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में भट्टे स्थित हैं, उनके द्वारा एक रजिस्टर रखा जाएगा जिसमें दिए गए प्रारूप में भट्टों को सूचीबद्ध किया जाएगा तथा प्रत्येक माह होने वाले सर्वेक्षण की तिथि अंकित की जाएगी ताकि प्रत्येक भट्टे का सर्वेक्षण नियमित रूप से होता रहे।

क्र० सं०	भट्टे का नाम	घोषित बिक्री(त्रैमासिक)	स्वीकृत कर (मासिक अथवा त्रैमासिक जैसी भी स्थिति हो)	जमा कर (मासिक अथवा त्रैमासिक जैसी भी स्थिति हो)	सर्वेक्षण की तिथि	जमा कर/ दिनांक	सर्वेक्षण में प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर की गयी कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8

सर्वेक्षण के आधार पर ईंटों के निर्माण व बिक्री का अनुमान लगाया जा सकता है तथा व्यापारी द्वारा दाखिल किए जा रहे नक्शों में इस आशय की जांच की जाएगी कि व्यापारी द्वारा बिक्री की गई समस्त ईंटों के अनुसार नक्शे दाखिल किए गए हैं अथवा नहीं। यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो इस सम्बन्ध में अनन्तिम कर निर्धारण की कार्यवाही की जाएगी।

4– यदि ईंट निर्माता, अधिकारी द्वारा पाये गये पायों की संख्या को स्वीकार नहीं करता है तो इस दशा में सम्बन्धित ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, अन्य किसी एक डिप्टी कमिश्नर अथवा दो असिस्टेण्ट कमिश्नर द्वारा जांच करवायेंगे और उक्त अधिकारी/अधिकारियों द्वारा भट्टे की जांच के आधार पर पाये गये पायों की संख्या अन्तिम मानी जायेगी।

5– पंजीकृत भट्टा फर्मों द्वारा कर तथा विवरणी प्रारूप–03 में नियम–11 के अनुसार समयान्तर्गत जमा की जाएगी।

6– जिन खण्डाधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में भट्टे स्थित है उनके द्वारा संभागीय कार्यालय के माध्यम से प्रत्येक सम्बन्धित माह की समाप्ति के अगले माह की 10 तारीख तक निम्न प्रारूप में वांछित सूचना मुख्यालय को उपलब्ध करवाई जायेगी ।

क्र0 सं0	कर निर्धारण कार्यालय का नाम	कुल पंजीकृत भट्टों की संख्या	कुल भट्टों की संख्या जिनका सर्वेक्षण किया गया	अवशेष भट्टों की संख्या जिनका सर्वेक्षण नहीं किया गया	सर्वेक्षण नही करने का संक्षिप्त कारण	सर्वेक्षण में प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर की गयी कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण
1	2	3	4	5 (3–4)	6	7

यदि यह पाया जाता है कि कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा उपरोक्त प्रकार से भट्टों का नियमित सर्वेक्षण और आवश्यकतानुसार कार्यवाही नहीं की गयी है तो उनके विरूद्ध प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाया जायेगा।

(दिलीप जावलकर)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

4723

पृ0प0सं0 ___ /दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:–1– एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर गढ़वाल जोन देहरादून/ कुमांऊ जोन रूद्रपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2–ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर–निर्धारण अधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3–ज्वाइन्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0/प्रवर्तन) वाणिज्य कर, /हरिद्वार/रूद्रपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

4– समस्त अनुभाग अधिकारी मुख्यालय।

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

v.letter.14.15| 330